

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:स्थाई भण्डार/2015/381

दिनांक : 26/11/2015

निविदा सूचना संख्या 3/2015-16

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज. जयपुर में आगामी एक वर्ष हेतु जनरल सामान की आपूर्ति हेतु मूल निर्माता, अधिकृत विक्रेता, बोनाफाईड डीलर्स एवं अन्य प्रतिष्ठित फर्मों से मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

खुली निविदा विवरण निम्न प्रकार है :

1.	कार्यालय का नाम	निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज. जयपुर। (स्वास्थ्य भवन)
2.	निविदा का कार्य	जनरल सामान एवं कम्प्यूटर, बिजली, लकड़ी के सामान की सप्लाय
3.	निविदा की लागत (अनुमानित)	13 लाख रुपये (तेरह लाख रुपये मात्र)
4.	अमानत राशि	26,000/- रुपये
5.	टेंडर फार्म मिलने की अन्तिम दिनांक	18.12.2015 मध्यान्ह 1.00 बजे तक
6.	टेंडर फार्म जमा कराने/प्रस्तुत करने की दिनांक	18.12.2015 मध्यान्ह 3.00 बजे तक
7.	टेक्नीकल बिड खोलने की दिनांक	18.12.2015 सायं 4.00 बजे
8.	निविदा फार्म शुल्क	1000/- रुपये

1. निविदाएं निर्धारित निविदा फार्म में प्रस्तुत करनी होगी, जो आहरण एवं वितरण अधिकारी निदेशालय से दिनांक 18.12.2015 को मध्यान्ह 1.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में रुपये 1000/- (अक्षरे एक हजार रुपये मात्र) नकद/डीडी/बैंकर चैक द्वारा भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें विभाग की वेबसाईट www.rajswasthya.nic.in एवं सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग की वेबसाईट www.dipr.rajasthan.gov.in तथा sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। डाउनलोड कर प्रस्तुत निविदा के साथ निविदा शुल्क राशि 1000/- रुपये का अतिरिक्त डीडी/बैंकर चैक निदेशक (जन स्वास्थ्य) के पक्ष में संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा निविदा स्वीकार योग्य नहीं होगी।
2. पूर्ण निविदा मोहरबन्द लिफाफे में जिस पर "जनरल सामान के लिए निविदा" अंकित कर भण्डार अधिकारी (स्थाई) के पास दिनांक 18.12.2015 को मध्यान्ह 3.00 बजे तक पहुंच जानी चाहिए। निविदा के साथ रुपये 26,000/- (अक्षरे छब्बीस हजार रुपये मात्र) की नगद जमा रसीद/डीडी/बैंकर चैक के रूप में जो निदेशक (जन स्वास्थ्य) के पक्ष में देय धरोहर राशि संलग्न की जानी आवश्यक है, जिसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
3. निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाएं दिनांक 18.12.2015 को सायं 4.00 बजे टेक्नीकल बिड उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी। निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। वित्तीय बिड केवल तकनीकी बिड में योग्य पाई जाने वाली फर्मों की ही खोली जावेगी, वित्तीय बिड अलग से लिफाफे में बन्द की जानी है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज.जयपुर

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DIRECTORATE, MEDICAL & HEALTH SERVICES, RAJ., JAIPUR**

TENDER FORM FOR TECHNICAL BID

Tender for purchase of general items.to be used for office purpose

1. Name & Postal address of the firm submitting the tender	M/s
2. Constitution of Firm (Proprietor/Partnership/Company)	
3. Telephone Numbers (Office/Mobile/Fax)	
4. Email Id	

5. The tender fee amounting to Rs. 1000/- has been deposited vide cash receipt/ Banker Cheque/ Demand Draft Number _____ dated _____ payable to Director (PH), Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur.
6. We agree to abide by all the conditions mentioned in Tender Notice Number issued by the Director (P.H.), Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur and also the further condition of the said Tender Notice given in the attached sheets (all the pages of which have been signed by us in token of our acceptance of the terms mentioned there in).
7. Goods will be delivered within a period of 15 days from the date of the receipt of firm order.
8. The rates quoted above are valid upto 3 Months from the date of the opening of the financial bid. The period can be extended with mutual agreement.

**Name of Singnature of Tenderer
with Rubber Stamp**

9. Details of earnest money is as under :

S. No.	Name of articles tendered	Total estimated cost	Earnest money	DD/Challan/Cash receipt no. & Date	Name of Bank
1	General items to used for office purpose	Rs.13,00,000	Rs. 26,000/-		

10. Sales Vat/Tax Registration Number and latest Vat / Sale Tax Clearance Certificate are submitted herewith.

11. Authorization of manufacturer/Distributor/Dealer etc. is also enclosed.

12. All conditions mentioned on Price schedule are accepted.

13. Two sets of samples are accompanied for articles marked within the schedule.

14. Previous supply/performance of the tenderer with the name of the deptt.

15. Supply capacity.

**Name of Singnature of Tenderer
with Rubber Stamp**

Encl.: Terms & Conditions

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन सामग्री/स्टोर्स/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बONAFAइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल सैलिंग/विपणन एजेंट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी प्रकार की कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहत कर लिया जाएगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाएगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय नाम, पता व मोहर
दूरभाष सं.

**COMPUTER ITEMS, ELECTRICAL, WOODEN AND OTHER
GENERAL ITEMS**

PART – A TECHNICAL BID

Two Bids in separate sealed envelopes for Part- A Technical & Part – B Financial Bids, duly filled & marked *“Technical/Financial Bid for general items to be used for office pupose”* shall be submitted as per schedule given below :-

1	Tendering Authority & Address	Director (PH) Directorate, Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur Swasthya Bhawan, C-Scheme, Tilak Marg, Jaipur.		
2	Telephone	0141-2225624, 0141-2388059		
3	A.Tender form can be obtained upto	Date	Time	Place
	B. Tender form can be submitted upto	18.12.2015	1.00 pm	DM&HS, Raj. Jaipur Basement
4	Opening of Tender for :- Technical Bids	18.12.2015	4.00 pm	DM&HS, Raj. Jaipur Basement

The tender (Technical & Financial Bids) should be delivered personally according to the schedule given above. Tenders will be short listed on the basis of Technical Bids. Financial bids shall be opened of only those tenderers who qualify in the Technical Bids.

**Signature of Tenderer with
Rubber stemp
Date :-**

-: खुली निविदा के लिए निविदा एवं सविदा की शर्तें :-

टिप्पणी :- निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाएं भेजते समय इनका पूर्णरूपेण पालना करना चाहिए।

1. निविदा प्रपत्र दो भागों में है। प्रथम भाग तकनीकी बिड है तथा द्वितीय भाग वित्तीय बिड है। निविदाकार तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड को अलग-अलग लिफाफों में सील बन्द करें तथा इन दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में बंद करके निविदा प्रस्तुत की जाए सभी लिफाफों पर निविदा का नाम, खोलने की तिथि एवं समय तथा निविदादाता का नाम व पूर्ण पता अवश्य अंकित किया जावे। निविदादाता द्वारा तकनीकी बिड के लिफाफे में वित्तीय दरों को किसी भी कारण से अंकित किया पाया गया तो ऐसी निविदा को निरस्त कर दिया जावेगा।

शर्त संख्या 1 (अ)

निर्धारित तिथि एवं समय पर तकनीकी निविदा को खोला जाकर निम्न क्राइटेरिया के आधार पर उसका परीक्षण किया जावेगा :-

1. पूरी धरोहर राशि (Earnest Money) की प्राप्ति।
2. निविदा प्रपत्र यदि नेट से डाउनलोड किया है तो निविदा शुल्क की राशि का डी.डी.
3. हस्ताक्षरित निविदा शर्तें
4. प्रारूप एस.आर. 11 में घोषणा प्रमाण-पत्र (निविदादाताओं द्वारा घोषणा)।
5. बिक्रीकर पंजीयन एवं चूकती प्रमाण-पत्र (नवीनतम)
6. लघु उद्योग के मामलों के उद्योग विभाग द्वारा जारी स्थाई प्रमाण-पत्र एवं पी.पी.सी. निर्धारित प्रपत्र में। (प्रोविजनल प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा)
7. सैम्पल (दो सैट में) जिनका कोई भुगतान देय नहीं होगा/सैम्पल/ठीक से पैक किया जाकर उस पर निविदादाता के हस्ताक्षर कर निविदा के साथ प्रस्तुत करने होंगे। सैम्पल उपलब्ध नहीं कराने की दशा में फर्म की निविदा को अस्वीकार कर दिया जावेगा तथा धरोहर राशि जब्त करली जावेगी।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर तकनीकी निविदाओं का परीक्षण किया जावेगा, उक्त में से किसी बिन्दु की सूचना संलग्न नहीं होने पर निविदा निरस्त करदी जावेगी तथा तकनीकी रूप से योग्य निविदाकारों की वित्तीय बिड खोली जावेगी, जिसकी समय एवं तिथि से बाद में ऐसी योग्य निविदाकारों को सूचित किया जायेगा।

2. निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप में मुहरबंद लिफाफे में बन्द करना चाहिए।
3. "वास्तविक डीलरों द्वारा निविदाएँ:- निविदाएँ सामग्री के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जायेगी। अतः ये एस.आर. प्रारूप 11 में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे।
4. (i) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से सविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जावेगा।

(ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिये बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित नामा प्रस्तुत नहीं कर दें। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदारी की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

5. **बिक्री कर/वेट पंजीयन एवं चुकती प्रमाण-पत्र :-** कोई भी डीलर यदि उस राज्य में, प्रचलित जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, बिक्री कर/वेट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह निविदा नहीं देगा। बिक्री कर/वेट पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा निविदा के साथ संबंधित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से बिक्री कर/वेट चुकती प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा तथा जिसके बिना निविदा को रद्द कर दिया जाएगा।
6. निविदादाताओं को बिक्री कर/वेट पंजीयन संख्या एवं संबंधित वाणिज्य कर अधिकारी से बिक्री कर/वेट चुकती प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जायेगा या टंकित किया जायेगा। पैसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा के समस्त निबंधनों एवं क्रम संख्या 1 से 50 तक की शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
8. दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जायेगी। इसमें कोई त्रुटिया एवं या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लघुहस्ताक्षर किये जाने चाहिए। दरों में राजस्थान बिक्री कर एवं केन्द्रीय बिक्री करों की राशि को पृथक से दिखानी चाहिए।
9. दरें गतव्य स्थान तक एफ.ओ.आर उद्धृत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी अनुषंगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए किन्तु चुंगी, केन्द्रीय/राजस्थान बिक्री कर/वेट को शामिल न करके इन्हे अलग से दिखाया जाना चाहिए। स्थानीय प्रदायों के मामलों में दरें में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा किसी गाडी भाडे (कॉर्टेज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के परिसरों पर दी जायेगी। खरीदे जाने वाले माल कार्यालयों के उपयोग के लिये होते हैं, इसलिए उन पर चुंगी का भुगतान नहीं किया जाता है। अतः इन दरों में चुंगी एवं स्थानीय करों को शामिल नहीं करना चाहिए। यदि खरीदे जाने वाले माल पुनः बिक्री करने के लिये या बिक्री हेतु किसी माल के विनिर्माण के रूप में उपयोग में लेने के लिए है तो इन दरों में चुंगी एवं स्थानीय करों को शामिल किया जाएगा। पूर्व उपयोग की दशा में विहित प्रारूप में एक प्रमाण-पत्र प्रदाय आदेश के साथ भेजा जाएगा।
10. (i) **दरों की तुलना:-** राजस्थान के बाहर की फर्मों तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मों, जो नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान की हकदार नहीं हैं, द्वारा निविदत्त दरों की तुलना करने में, राजस्थान बिक्री कर/VAT की राशि को शामिल नहीं किया जाएगा। जबकि केन्द्रीय बिक्री कर (Central VAT) को इसमें शामिल किया जाएगा।
(ii) राजस्थान के भीतर की फर्मों के संबंध में दरों की तुलना करते समय, राजस्थान बिक्री कर की राशि को शामिल किया जाएगा।

11. **मूल्य अधिमान :-** (मूल्य अधिमान/अधिमान, राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों को राजस्थान के बाहर के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों के अधिमान) नियम, 1995 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में पी पी सी प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा)
12. **विधिमान्यता :-** वित्तीय निविदा उनके खोले जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
13. अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तों विनिर्देशों, आकार, मेक एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जाँच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों, विनिर्देशों, रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई संदेह हो तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
14. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौपेगा या उप-भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।
15. **विनिर्देश :-**
 - (i) प्रदाय की गयी सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित विनिर्देश, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी तथा जहाँ पर वस्तुओं की आई.एस.आई. विनिर्देश के अनुरूप अपेक्षा की गयी हो, वहाँ उपमदों को पूर्णरूप से उप विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए तथा उन पर वह मार्क होना चाहिए।
 - (ii) कार्यालय उपयोग में आने वाले जनरल आइटम्स की वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य सामग्रियों के मामले में, जहाँ कोई मानकीकृत या अनुमोदित नमूने न हो, वहाँ अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जाएगा। क्रेता अधिकारी/ क्रेता समिति का इस संबंध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुएं विनिर्देशों के अनुरूप है, तथा क्या वे नमूनों, यदि कोई हो, के अनुसार है, किया गया निर्णय अन्तिम एवं निविदादाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।
 - (iii) **वारंटी/गारंटी खण्ड :-** निविदादाता यह गारंटी देगा कि माल/सामान/ वस्तुएं खरीदे जाने वाले उक्त माल/सामान/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से 15 दिनों/माहों की अवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया है एवं या उन्हें अनुमोदित कर दिया है यदि 15 दिनों/माहों कि उक्त अवधि में मालों/सामानों/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गये हैं (तथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम या निर्णायक होगा), तो क्रेता उक्त मालों/सामानों/ वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया जाए, रद्द करने का हकदार होगा। ऐसे रद्द किये जाने वाले माल/सामान/वस्तुएं विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रद्द करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगे। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा जाए तो उस माल आदि को या उसके भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता उस नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

(iv) मशीनों और उपकरणों के मामले में भी उक्त खण्ड (3) में उल्लेखित किए गए अनुसार गारण्टी दी जाएगी तथा निविदादाता गारंटीकृत अवधि में पुर्जों, यदि कोई हो, को बदलेगा और किसी भी विनिर्माण की कमी को दूर करेगा यदि उक्त अवधि में वैसा पाया जाए, ताकि मशीन एवं उपकरण ठीक काम कर सकें। निविदादाता मशीनों एवं उपकरणों को उस स्थिति में भी बदलेगा यदि वे ऐसे दोषपूर्ण पाये जाए कि विनिर्माण की त्रुटि आदि के कारण उन्हें काम में नहीं लिया जा सकता हो।

(v) क्रेता अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मशीन एवं उपकरण के मामले में निविदादाता से निबंधनों और शर्तों पर जो उनके बीच स्वीकार की जाए, वार्षिक रखरखाव (मेंटीनेंस) एवं मरम्मत करने के लिए उत्तरदायी होगा। निविदादाता किसी विशिष्ट प्रकार की मशीनरी के लिए आवश्यक स्पेयर पार्ट्स एवं उपकरणों का नियमित समुचित प्रदाय करने के लिए भी, चाहे वार्षिक रखरखाव व मरम्मत की दर संविदा के अधीन या अन्यथा उत्तरदायी होगा। मॉडल में परिवर्तन के मामले में, वह क्रेता अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व सूचना देगा जो अपनी मशीनों एवं उपकरणों को पूर्ण रूप से कार्यकारी दशा में रखने के लिए उनसे स्पेयर पार्ट्स खरीद सकेगा।

16. निरीक्षण :-

(क) क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जाएगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद, जैसा भी निश्चय किया जाए, सभी युक्तियुक्त समयों पर मालो/उपकरणों/मशीनों की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जाँच करने की शक्ति होगी।

(ख) निविदादाता अपने कार्यालय, गोदाम एवं वर्कशाप के परिसर का, जहाँ पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते तथा टेलीफोन एवं मोबाइल नम्बर के साथ देगा जिससे उसे प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा। उन डीलरों के मामले में, जो व्यवसाय में नए प्रविष्ट हुए हैं, अपने बैकर्स से एक परिचय-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

17. नमूने :- अनुसूची में अंकित वस्तुओं की निविदाओं के साथ उचित रूप से पैक की गयी निविदत्त वस्तुओं के दो नमूने प्रस्तुत किए जायेंगे। ऐसे नमूने, यदि व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये जायें तो कार्यालय में प्राप्त किये जाएंगे। नमूने प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक नमूने के लिए रसीद दी जावेगी। यदि ये नमूने ट्रेन आदि से भेजे जाते हैं तो इन्हें भुगतान कर भाड़े द्वारा भिजवाने चाहिए तथा आर/आर या जी.आर.एफ. पृथक रजिस्टर्ड लिफाफे द्वारा भेजी जानी चाहिए। केटरिंग/खाद्य पदार्थों में नमूने प्लास्टिक बॉक्स/ बैग्स (थैले) में निविदादाता के खर्च पर दिये जाने चाहिए।

18. प्रत्येक नमूने पर, उस पर, या उस पर मजबूती से चिपकायी गयी किसी मजबूत कागज की पर्ची पर निविदादाता का नाम, मद की क्रम संख्या जिसका वह अनुसूची में नमूना है, आदि लिखे जाएंगे।

19. अनुमोदित नमूनों को संविदा के समाप्त होने के बाद छः माह की अवधि तक निःशुल्क रखा जाएगा। इस अवधि में इन नमूनों को प्रतिधारित करने के दौरान उनमें, प्रशिक्षण, जॉच आदि के दौरान किसी भी नुकसान, टूट-फूट हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी।
- निर्धारित अवधि कि समाप्ति पर निविदादाता द्वारा नमूनों को वापिस लिया जाएगा। सरकार किसी भी रूप में उन्हें लौटाने की व्यवस्था नहीं करेगी। संविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि 9 माह की अवधि के भीतर कोई नमूने प्राप्त नहीं किये जाते है तो उन्हें सरकार द्वारा समाहत् कर लिया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा।
20. असफल निविदादाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए नमूनों को इकट्ठा किया जाएगा। जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाता है, उनमें परीक्षण, जॉच आदि के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान टूट-फुट या हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। जो नमूने वापस नहीं लिए जायेगे उन्हें समपहत किया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
21. प्रदाया जब भी प्राप्त किया जाएगा उनका निरीक्षण या सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे विनिर्देशों या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप है। जहाँ आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहाँ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों जैसे श्री राम टेस्टिंग हाउस, नई दिल्ली एवं तत्समान परीक्षण गृहों में कराया जाएगा तथा जहाँ पर प्रदाय किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित विनिर्देशों के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हें स्वीकार किया जाएगा।
22. नमूने निकालना :- परीक्षणों के मामले में, निविदादाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में चार सैटों में नमूने लिए जाएंगे तथा उन्हें उनकी उपस्थिति में उचित प्रकार से मुहरबंद किया जाएगा। उनमें से एक सैट उन्हें दिया जाएंगे, एक या दो सैटों को प्रयोगशालाओं एवं/या परीक्षण गृहों में भिजवा दिया जाएगा तथा तीसरा या चौथा सैट सदर्थ एवं अभिलेख के लिए कार्यालय में प्रतिधारित किया जाएगा।
23. परीक्षण प्रभार :- परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता है कि प्रदाया किया गया सामान विहित स्तरों या विनिर्देशों के अनुसार नहीं है, तो परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जाएंगे।
24. रद्द करना :-
- (i) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं कि जायेगी उन्हें रद्द किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उनहे क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।
 - (ii) तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, उन वस्तुओं को पूर्ण या आंशिक रूप से बदलना साध्य नहीं समझा जाए, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे। अनुमोदित दरों मे से उपयुक्त राशि की कटौति करेगा। इस प्रकार की गयी कटौति अन्तिम होगी।

25. रद्द की गयी वस्तुओं को निविदादाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ताकि उसे निविदादाता की जोखिम एवं उसके मुद्दे उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा।
26. निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई नुकसान न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपूर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, रिसाव, टूट-फूट या लिकेज किसी कमी के होने के मामलों में निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जाँच/निरीक्षण किए जाने पर पायी गयी ऐसी हानि या कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत अनुज्ञेय नहीं होगी।
27. प्रदाय हेतु संविदा को यदि माल का प्रदाय क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।
28. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
29. i) **सुपूर्दगी अवधि :-** निविदादाता, जिसकी निविदा स्वीकार की जाए क्रेता अधिकारी द्वारा प्रदाय आदेश करने की तारीख से 15 दिवस की अवधि के भीतर निम्न प्रकार सामान का प्रदाय करने की व्यवस्था करेगा :-
निर्धारित अवधि में आपूर्ति नहीं करने पर जी.एफ. एण्ड ए.आर. पार्ट-II के नियम 58(3) के अनुसार राशि वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

क्र.सं.	मद	मात्रा	सुपूर्दगी अवधि
---------	----	--------	----------------

- (ii) **मात्रा की सीमा - आदेश को फिर से देना :-** यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिये आदेश दिया जाता है तो निविदादाता अपेक्षित प्रदाय करने के लिये बाध्य होगा। पुनः आदेश भी निविदा में दी गयी शर्तों पर दिए जा सकेंगे परन्तु शर्त यह है कि ऐसे पुनरादेश

मूल रूप से खरीदी गयी मात्रा की 50 प्रतिशत तक के प्रदाय के लिये ही होंगे। तथा ऐसे आदेश देने की अवधि अन्तिम माल प्रदाय करने के दिनांक से एक माह से अधिक बाद की नहीं होगी। यदि निविदादाता, ऐसा प्रदाय करने में असमर्थ रहता है तो क्रेता अधिकारी शेष सामान के प्रदाय की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी निविदादाता से वसूली की जाएगी।

- (iii) यदि क्रेता अधिकारी किन्ही निविदा वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति या क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।
- (iv) उक्त प्रक्रिया हेतु RTIP नियमों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

30. जब एक बार सरकार और निविदादाता के बीच निविदा तय हो जावे तो निविदादाता को निविदा स्वीकृति दिनांक से एक वर्ष तक निविदा चालू रखनी पड़ेगी, जिसे समान दरों पर तीन माह तक के लिए बढ़ाया जा सकेगा जिसके लिए निविदादाता बाध्य होगा तथा इससे आगे की अवधि आपसी सहमति के आधार पर तीन माह तक और बढ़ाई जा सकेगी। निविदा में दी गई दरें सम्पूर्ण अवधि तक लागू रहेगी चाहे कोई अनपेक्षित घटना या परिस्थितियां उत्पन्न हो जाये, यदि किसी वस्तु पर नियंत्रण हो जाय और उसके लिए सरकार से अनुमति पत्र (परमिट) की आवश्यकता हो विभाग अनुमति पत्र की प्राप्ति में निविदादाता की सहायता करने का प्रयत्न करेगा बशर्ते की ऐसी सहायता सामग्री न देने की दशा में निविदा की शर्तों को पूरा करवाने से सरकार के अधिकार पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न डाले, किन्तु सामग्री जुटाने व देने का समस्त उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा। इस निमित्त निविदादाता द्वारा किये गये किसी भी अतिरिक्त व्यय की हानि पूर्ति नहीं की जावेगी, उस दशा में भुगतान नियंत्रित दरों के अनुसार किया जावेगा चाहे टेण्डर की दरें कुछ भी हों।

31. बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) :- (क) निविदा के साथ 26,000/- रु. की बयाना राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि निदेशक (जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर) के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी रूप से भी जमा करायी जानी चाहिए :-

- (i) नकद - शीर्ष " 8443 - सिविल निक्षेप - 103 प्रतिभूति निक्षेप" के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान से जमा कराया जाना चाहिए।
- (ii) शिड्यूल बैंक का ड्राफ्ट/ बैंकर चैक।

(ख) बयाना राशि का प्रतिदाय :- असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथासम्भव शीघ्र लौटायी जायेगी।

(ग) बयाना राशि से आंशिक छूट :- उन फर्मों को जो निदेशक, उद्योग भवन, राजस्थान के पास पंजीकृत है, उन मदों के संबंध में, जिनके लिये वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई है, उनके द्वारा पंजीयन प्रमाण-पत्र या उसकी फोटोप्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने का (विलोपित) निविदाये आमंत्रित करने की सूचना में दिखाये गये निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर बयाना राशि जमा करानी होगी। लघु औद्योगिक इकाईयों को निदेशक, उद्योग या उनके प्रतिनिधियों द्वारा जारी किये गये स्थाई पंजीयन प्रमाण के आधार पर बयाना राशि के भुगतान करने से आंशिक छूट दी गई हैं और निविदा की संभावित राशि पर 1/2 प्रतिशत बयाना राशि देनी होगी।

- (घ) केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के उपक्रमों को कोई बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
- (ङ) अनुमोदन की प्रतिक्षा करने वाली या रद्द की गयी निविदाओं के संबंध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/ कार्यालय के पास जमा बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नयी निविदाओं के लिये बयाना राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि निविदाओं के पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बयाना राशि को उपयोग में लिया जा सकता है।
32. **बयाना राशि का समपहरण:-** बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा :-
- जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।
 - जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।
 - जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।
 - जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता है।
33. (1) **करार एवं प्रतिभूति निक्षेप :** (प) सफल निविदादाताओं के आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में रु0 1000/- के नॉन ज्युडिशियल स्टॉम पेपर पर एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदाएँ स्वीकार की गयी हैं, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 15 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी।
- निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी।
 - प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
 - प्रतिभूति राशि कि रूप में निम्न प्रकार होंगे :
 - नगद/बैंक ड्रॉफ्ट/बैंकर्स चैक/चालान की रसीदी प्रति।
 - डाकघर बचत बैंक पासबुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जाएगा।
 - राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र, डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र या अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत कोई अन्य स्क्रिस्ट/विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण-पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जाएगा।
 - एक बार की खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों के अन्तिम प्रदाय से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी को सान्तर किया जाता है तो दो माह के भीतर उसकी संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरुद्ध कोई देय बकाया नहीं है। प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

2. (1) निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्मों को उन सामानों के संबंध में जिनके लिये वे रजिस्टर्ड हैं, उनके द्वारा निदेशक उद्योग से पंजीयन (विलोपित) प्रमाण-पत्र मूल रूप में या उसकी फोटो स्टेट प्रति या राजपत्रित अधिकारी से उसकी विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत किये जाने पर बयाना राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेगी।

(2) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे

3. **प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण :-** प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहत किया जा सकेगा :-

(क) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय संतोषजनक ढंग से करने में असफल हो रहा हो।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

4. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत निःशुल्क दी जाएगी।

34. (i) समस्त माल रेलवे या गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिए भाड़ा चुका कर भेजा जाएगा। यदि माल भेज दिया जाता है तथा उसका भाड़ा चुकाना हो तो प्रदायकर्ता के बिल में से उस भाड़े के 5 प्रतिशत की दर से विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जाएगी।

(ii) आर.आर. केवल बैंक के माध्य से रजिस्टर्ड लिफाफे में भेजी जानी चाहिए।

(iii) यदि क्रेता अधिकारी माल को पैसेन्जर ट्रेन से भिजवाने की इच्छा करता है तो सम्पूर्ण रेल भाड़ा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

(iv) भुगतान करने पर किए गए प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जाएंगे।

35. **बीमा :-**

(i) सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किए जाएंगे। यदि प्रदायकर्ता चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी, नाशन एवं नुकसान द्वारा या आग, बाढ़ मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे - युद्ध, विद्रोह, दंगों आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिये बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा यदि ऐसे व्यय किये जाते हैं तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(ii) यदि क्रेता द्वारा चाहा गया हो तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जा सकेगा। ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिए।

- (i) दुर्लभ एवं विशिष्ट मामलों के सिवाय अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो तो वह माल प्रेषित करने के सबूत पर तथा रेल/प्रतिष्ठित गुड्स ट्रांसपोर्ट कम्पनियों आदि द्वारा वित्तीय शक्तियों में विहित की गयी सीमा तक तथा पूर्व निरीक्षण, यदि कोई हो, किए जाने पर किया जाएगा। अतिशेष राशि, यदि कोई हो, का भुगतान माल अच्छी हालत में प्राप्त होने पर तथा निरीक्षण के समय पृष्ठांकित और निविदादाता को नहीं दिए गए उस आशय के प्रमाण-पत्र पर दिए जाने पर दिया जाएगा।
 - (ii) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जाएंगे।
 - (iii) विवादस्पद मदों में संबंध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।
 - (iv) उन मामलों के संबंध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।
37. (i) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।
- (ii) परिनिर्धारित शास्ति :- परिनिर्धारित शास्ति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामलों में वृत्तली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा है :-
1. (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत
(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिए 5 प्रतिशत
(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अधिक अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत
(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत।
 2. प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।
 3. परिनिर्धारित शास्ति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।
 4. यदि प्रदायकर्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उस समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
 5. यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित शास्ति सहित या रहित की जा सकेगी।

38. **वसूलिया :-** परिनिर्धारित शास्ति, कम प्रदाय, टूट-फूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से कि जाएगी। प्रदायकर्ता नुकसानी, कम प्रदाय, टूट-फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित शास्ति के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
39. निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाईसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिए।
40. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है तो इससे वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा, जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।
41. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा। किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निदेशक के पास सुरक्षित रहेगा।
42. निविदादाता कथार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:-
- (i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाप्ति प्रति।
 - (ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीकृत प्रमाण पत्र
 - (iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलिफोन नम्बर।
 - (iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र। (मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल)
 - (v) फर्म का रजिस्ट्रेशन, टिन नं., का प्रमाण-पत्र।
 - (vi) गत 2 वर्षों के वार्षिक टर्न ओवर का प्रमाण-पत्र।
43. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले का विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा जो उस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्थ (सोल आबिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप-अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप-अधिकारी इस संविदा के संबंध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।
44. समस्त विधिक कार्यवाहियां, यदि सन्निहित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या निविदादाता) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालय में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएगी।
45. बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का भंग:- अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी बोली लगाने वाले या, यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपबन्ध के भंग की दशा में उपापन संस्था धारा 11 की उप-धारा (3) और धारा 46 के उपबंधों के अनुसार सुमचित कार्रवाई कर सकेगी।

46. अनुबन्ध की शर्तों के अन्तर्गत निविदाकार से जो भी वसूली बनती है उसकी भरपाई यदि एक माह में नहीं की जाती है तो ऐसी वसूली निविदाकार द्वारा जमा प्रतिभूति राशि में से तुरंत कर ली जावेगी। यदि फिर भी इस प्रकार वसूली पूरी तरह सम्भव नहीं हो तो राजस्थान लोकमॉग अधिनियम (वसूली) 1952 के अधीन या तत्समय प्रचलित किसी भी विधि के अधीन कर ली जावेगी।
47. निविदा के किसी भी भाग में आंशिक अथवा पूर्णतयः संशोधन अथवा निविदा को किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निदेशक (जन स्वा.) के पास सुरक्षित रहेगा।
48. निविदाकार को देय भुगतान में से आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत तत्समय निर्धारित दर से स्त्रोत कर के रूप में विभाग द्वारा आयकर की कटौती की जाकर भुगतान किया जावेगा। निविदादाता के आवेदन पर विभाग द्वारा आयकर कटौती का प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।
49. निविदा की शर्तों में सन्देह की स्थिति में सामान्य वित्त एवं लेखा नियम, एवं RTPP ACT-एवं RTPP Rules के प्रावधान के अनुसार लागू होंगे।
50. The Designation and address of the First Appellate Authority is Joint Seceratry Medical & Health (Group-II) Dept., Rajasthan Jaipur, Govt. of Rajasthan.
The Designation and address of the Second Appellate Authority is Principal Secretary, Medical Health & Family Welfare, Govt. of Rajasthan.

निविदादाता के हस्ताक्षर मय नाम
फर्म का नाम मय मोहर
दूरभाष नं./मोबाइल नं.
फैक्स नं.

कार्यालय उपयोग में आने वाले जनरल आइटम्स की सूची
के लिए निविदा

निविदाकार का नाम एवं पता

तकनीकी बिड (भाग-I)

क्रमांक:

दिनांक :

(अ) जनरल सामान

क्र.सं.	नाम सामग्री/आईटम	अनुमानित मात्रा	कम्पनी/मेक का नाम
1	मास्क्यूट नाईट रिफिल 45 नाईट	100	
2	मास्क्यूट नाईट, मशीन मय रिफिल	50	
3	डस्टबीन प्लास्टिक बिना ढक्कन (सादा)	200	
4	जग प्लास्टिक डेढ लीटर	200	
5	दीवार घड़ी 1 X 1 फुट	20	
6	इलेक्ट्रीक घंटी	20	
7	रिमोट घंटी	10	
8	गिलास काँच	200	
9	कप सेट बोन चाइना	50 सेट	
10	केलकुलेटर 12 डिजीट	50	

11	पंचिंग मशीन मॉडल नं.पी-30	30	
12	पंचिंग मशीन हेवी ड्यूटी	5	
13	रूम परफ्यूम	50	
14	स्टेपलर मशीन नं. 10	40	
15	स्टेपलर मशीन नं. 24/6	40	
16	स्टेपलर हेवी ड्यूटी	5	
17	टेबिल ग्लास 3X2	60	
18	सर्विस ट्रे मिडियम साइज प्लास्टिक	10	
19	ताला बडी साइज 7 लीवर	60	
20	थर्मस 1 लीटर	10	
21	टी-कोस्टर प्लास्टिक	10 सेट	
22	तौलिया फुल साइज (Size 30" X 60")	100	

23	नेपकिन	100	
24	पेन्सिल सेल	300	
25	टार्च 2 बड़े सैल की	10	
26	पानी के केम्पर 5 लीटर	10	
27	बरसाती	20	
28	डाक बेग	10	
29	कॉलीन	10	
30	पाईप बण्डल प्लास्टिक 1/2 इंच	20	
31	इलेक्ट्रीक टी केटली	10	
32	टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट	50	
33	एडजस्टेबल टेबल टॉप स्टेण्ड	5	
34	सिन्टेक्स टंकी के ढक्कन	20	

35	फ्लोर बॉल 1/2 इंच (टंकियों में लगने वाली)	20	
36	हीट स्प्रे	20	
37	लिक्वीड सोप 200 एमएल	50	
38	हाथ धोने का साबुन 100 ग्राम	100	
39	बर्तन धोने की टिकिया/ साबुन 100 ग्राम	100	
40	कॉच गिलास बोतल 1 लीटर	200	
41	कॉच बोतल 250 एमएल चौड़ा मुँह (खाद्य सामग्री नमूने हेतु)	300	
42	कॉच बोतल 250 एमएल छोटा मुँह (खाद्य सामग्री नमूने हेतु)	300	
43	कॉच बोतल 500 एमएल छोटा मुँह (खाद्य सामग्री नमूने हेतु)	500	
44	कॉच बोतल 500 एमएल चौड़ा मुँह (खाद्य सामग्री नमूने हेतु)	500	
45	प्लास्टिक जॉर 1 किग्रा चौड़ा मुँह (खाद्य सामग्री नमूने हेतु)	500	
46	प्लास्टिक जॉर 2 किग्रा चौड़ा मुँह (खाद्य सामग्री नमूने हेतु)	500	

नोट : क्रम संख्या 1 से 46 के सामान का सेम्पल टेण्डर के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(ब) लाइट का सामान

क्र.सं.	नाम सामग्री/आईटम	अनुमानित मात्रा	कम्पनी/मेक का नाम
1	सीएफएल 18 वॉट	50 नग	
2	सीएफएल 11W / SU-865 (2 PIN)	50 नग	
3	ट्यूबलाइट रॉड 28 वाट Essential (Extra Slim)	50 नग	
4	चॉक 28 वाट Essential (Extra Slim)	50	
5	एक्सटेंशन बोर्ड (लकड़ी) – 4"x10" (बिना वायर)	100	
6	कन्डेनसर ऑयल 4 एमएफडी	100	
7	कन्डेनसर ऑयल 2.5 एमएफडी	100	
8	मल्टी प्लग 15 एएमपी	50	
9	रेगूलेटर (सीलिंग फैन)	50	
10	स्विच 5 एएमपी	100	
11	सॉकेट 5 एएमपी	50	

12	स्विच 15 एएमपी	50	
13	सॉकेट 15 एएमपी	50	
14	टेप रोल (लाईट के उपयोग हेतु) छोटी	50	
15	थ्री पिन टॉप 5 एएमपी	50	
16	थ्री पिन टॉप 15 एएमपी	50	
17	वायर बण्डल फ्लेक्सीबल	10	
18	वायर बण्डल 2.5 एएमएम	5	
19	वायर बण्डल 40/76 – 3 कोर	10	
20	वायर बण्डल 1.5 एएमएम	10	
21	वायर बण्डल 1 एएमएम	10	
22	कूलर पम्प समर्सवेल	30	
23	मल्टी प्लग 5 एएमपी	30 नग	

24	ए.सी. कण्डेंसर शॉकिट मय टॉप	5 नग	
25	2 पिन टॉप 5 एएमपी	30	
26	2 पिन शॉकिट 5 एएमपी	30	
27	बेल स्वीच 5 एएमपी	30	
28	एम.सी.बी. 32 ए.एम.पी.	50	
29	एम.सी.बी. 16 ए.एम.पी.	25	
30	आईसोलेटर 63 ए.एम.पी.	20	

नोट : क्रम संख्या 1 से 30 के सामान का सेम्पल टेण्डर के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(स) कम्प्यूटर आईटमस्

क्रसं.	नाम सामग्री/आईटम	अनुमानित मात्रा	कम्पनी/मेक का नाम
1	पैन ड्राइव 4 जीबी	40	
2	पैन ड्राइव 8 जीबी	50	
3	पैन ड्राइव 16 जीबी	50	
4	पैन ड्राइव 32 जीबी	20	
5	कम्प्यूटर माउस (ऑप्टिकल)	40	
6	कम्प्यूटर की-बोर्ड	40	
7	कम्प्यूटर पॉवर केबल	40	
8	अर्थनेट लेन केबल (2 मीटर)	40	
प्रिन्टर कार्टेज			
1.	Laserjet 2612 A	50	
2.	Laserjet 388A	20	
3.	Laserjet 436A	20	
4	Canon-303	20	

5.	Laserjet TNP 28S	50	
6	Laserjet TNP 28S (Drum Case)	50	

प्रिन्टर कार्टेज रिफिलिंग

1	Laserjet 2612 A	300			
2	Laserjet 388 A	100			
3	Laserjet 436 A	100			
4	Canon-303	50			
5	Laserjet TNP 28S	200			
6	Cartidge Drum Kit change	300			
7	Cartidge Blad change	200			
8	Cartidge PCR Rod change	200			
9	Magnet Rode Change	100			

(द) लकड़ी के आईटमस्

क्र.सं.	नाम सामग्री/आईटम	अनुमानित मात्रा	कम्पनी/मेक का नाम
1	प्लाई बोर्ड 19 MM 6X4	5	
2	प्लाई बोर्ड 19 MM 8X4	5	
3	प्लाईवुड 12 MM 6X4	5	
4	प्लाईवुड 8 MM 6X4	5	
5	प्लाईवुड 6 MM 6X4	10	
6	प्लाईवुड 4 MM 6X4	10	
7	सनमाईका सीट 1 MM 8X4	4	
8	टेबिल टॉप माइका लेमिनेटेड (उपर व नीचे) 5'X2.5' X 1"	10	
9	टेबिल टॉप माइका लेमिनेटेड (उपर व नीचे) 4'X2.5' X 1"	10	
10	डोर क्लोजर	15	
11	फेवीकॉल (1 लीटर पेक में)	10 लीटर	
12	सांकल कून्दे 9 इंच भय नट बोल्ट (कम्पलीट)	20 नग	

13	सांकल कून्दे 12 इंच मय नट बोल्ट (कम्पलीट)	20 नग	
14	ताले-छोटे (दराज/अलमारी)	50 नग	
15	ताले-बड़े (दराज/अलमारी)	50 नग	

Signature of Tenderer with
Rubber stemp

**COMPUTER ITEMS, ELECTRICAL, WOODEN AND OTHER
GENERAL ITEMS**

PART – B FINANCIAL BID

Two Bids in separate sealed envelopes for Part- A Technical & Part – B Financial Bids, should be filled and duly marked *“Technical/Financial Bid for general items to be used for office purpose”* and submitted as per schedule given below :-

1	Tendering Authority & Address	Director (PH) Directorate, Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur Swasthya Bhawan, C-Scheme, Tilak Marg, Jaipur.		
2	Telephone	0141-2225624, 0141-2388059		
3	A.Tender form can be obtained upto	Date	Time	Place
	B. Tender form can be submitted upto	18.12.2015	1.00 pm	DM&HS, Raj. Jaipur Basement
4	Opening of Tender for :- Technical Bids	18.12.2015	3.00 pm	DM&HS, Raj. Jaipur Basement

The tender (Technical & Financial Bids) should be delivered personally according to the schedule given above. Tenders will be short listed on the basis of Technical Bids. Financial bids shall be opened of only those tenderers who qualify in the Technical Bids.

Signature of Tenderer with

Rubber stamp

Date :-

कार्यालय उपयोग में आने वाले जनरल आईटम्स की सूची

..... के लिए निविदा

निविदाकार का नाम एवं पता

वित्तीय बिड (भाग-II)

क्रमांक:

दिनांक :

(अ) जनरल सामान

क्र. सं.	नाम सामग्री/आईटम्	अनुमानित मात्रा	कम्पनी/मेक का नाम	निविदादाता द्वारा दी गई दर	
				अंको में	शब्दों में
1	मास्क्यूट नाईट रिफिल 45 नाईट	100			
2	मास्क्यूट नाईट, मशीन मय रिफिल	50			
3	डस्टबीन प्लास्टिक बिना ढक्कन (सादा)	200			
4	जग प्लास्टिक डेढ लीटर	200			
5	दीवार घडी 1 X 1 फुट	20			
6	इलेक्ट्रीक घंटी	20			
7	रिमोट घंटी	10			
8	गिलास काँच	200			
9	कप सेट बोन चाइना	50 सेट			
10	केलकुलेटर 12 डिजीट	50			

11	पंचिंग मशीन मॉडल नं. पी-30	30			
12	पंचिंग मशीन हेवी ड्यूटी	5			
13	रूम परफ्यूम	50			
14	स्टेपलर मशीन नं. 10	40			
15	स्टेपलर मशीन नं. 24/6	40			
16	स्टेपलर हेवी ड्यूटी	5			
17	टेबिल ग्लास 3x2	60			
18	सर्विस ट्रे मिडियम साइज प्लास्टिक	10			
19	ताला बडी साइज 7 लीवर	60			
20	थर्मस 1 लीटर	10			
21	टी-कोस्टर प्लास्टिक	10 सेट			
22	तौलिया फुल साइज (Size 30" X 60")	100			

23.	नेपकिन	100			
24	पेन्सिल सेल	300			
25	टार्च 2 बड़े सैल की	10			
26	पानी के केम्पर 5 लीटर	10			
27	बरसाती	20			
28	डाक बेग	10			
29	कॉलीन	10			
30	पाईप बण्डल प्लास्टिक 1/2 इंच	20			
31	इलेक्ट्रीक टी केटली	10			
32	टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट	50			
33	एडजेस्टेबल टेबल टॉप स्टेण्ड	5			
34	सिन्टेक्स टंकी के ढक्कन	20			

35	फ्लोर बॉल 1/2 इंच (टंकियों में लगने वाली)	20			
36	हीट स्प्रे	20			
37	लिक्वीड सोप 200 एमएल	50			
38	हाथ धोने का साबुन 100 ग्राम	100			
39	बर्तन धोने की टिकिया / साबुन 100 ग्राम	100			
40	काँच गिलास बोतल 1 लीटर	200			
41	काँच बोतल 250 एमएल चौड़ा मुँह (खाद्य सामग्री नमूने हेतु)	300			
42	काँच बोतल 250 एमएल छोटा मुँह (खाद्य सामग्री नमूने हेतु)	300			
43	काँच बोतल 500 एमएल छोटा मुँह (खाद्य सामग्री नमूने हेतु)	500			
44	काँच बोतल 500 एमएल चौड़ा मुँह (खाद्य सामग्री नमूने हेतु)	500			
45	प्लास्टिक जॉर 1 किग्रा चौड़ा मुँह (खाद्य सामग्री नमूने हेतु)	500			
46	प्लास्टिक जॉर 2 किग्रा चौड़ा मुँह (खाद्य सामग्री नमूने हेतु)	500			

नोट : क्रम संख्या 1 से 46 के सामान का सेम्पल टेण्डर के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(ब) लाइट का सामान

क्र. सं.	नाम सामग्री/आईटम	अनुमानित मात्रा	कम्पनी/मेक का नाम	निविदादाता द्वारा दी गई दर	
				अंको में	शब्दों में
1	सीएफएल 18 वॉट	50 नग			
2	सीएफएल 11W / SU-865 (2 PIN)	50 नग			
3	ट्यूबलाइट रॉड 28 वाट Essential (Extra Slim)	50 नग			
4	चॉक 28 वाट Essential (Extra Slim)	50			
5	एक्सटेंशन बोर्ड (लकड़ी) - 4"x10" (बिना वायर)	100			
6	कन्डेनसर ऑयल 4 एमएफडी	100			
7	कन्डेनसर ऑयल 2.5 एमएफडी	100			
8	मल्टी प्लग 15 एएमपी	50			
9	रेग्यूलेटर (सीलिंग फैन)	50			
10	स्विच 5 एएमपी	100			
11	सॉकेट 5 एएमपी	50			

12	स्विच 15 एएमपी	50			
13	सॉकिट 15 एएमपी	50			
14	टेप रोल (लाईट के उपयोग हेतु) छोटी	50			
15	श्री पिन टॉप 5 एएमपी	50			
16	श्री पिन टॉप 15 एएमपी	50			
17	वायर बण्डल फ्लेक्सीबल	10			
18	वायर बण्डल 2.5 एएमएम	5			
19	वायर बण्डल 40/76 - 3 कोर	10			
20	वायर बण्डल 1.5 एएमएम	10			
21	वायर बण्डल 1 एएमएम	10			
22	कूलर पम्प समर्सैवल	30			
23	मल्टी प्लग 5 एएमपी	30 नग			

24	ए.सी. कण्डेसर शॉकिट मय टॉप	5 नग			
25	2 पिन टॉप 5 एएमपी	30			
26	2 पिन शॉकिट 5 एएमपी	30			
27	बेल स्वीच 5 एएमपी	30			
28	एम.सी.बी. 32 ए.एम.पी.	50			
29	एम.सी.बी. 16 ए.एम.पी.	25			
30	आईसोलेटर 63 ए.एम.पी.	20			

नोट : क्रम संख्या 1 से 30 के सामान का सेम्पल टेण्डर के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(स) कम्प्यूटर आईटमस्

क्रं	नाम सामग्री/आईटम	अनुमानित मात्रा	कम्पनी/मेक का नाम	निविदादाता द्वारा दी गई दर	
				अंको में	शब्दों में
1	पैन ड्राइव 4 जीबी	40			
2	पैन ड्राइव 8 जीबी	50			
3	पैन ड्राइव 16 जीबी	50			
4	पैन ड्राइव 32 जीबी	20			
5	कम्प्यूटर माउस (ऑप्टिकल)	40			
6	कम्प्यूटर की-बोर्ड	40			
7	कम्प्यूटर पॉवर केबल	40			
8	अर्थनेट लेन केबल (2 मीटर)	40			
प्रिन्टर कार्टेज					
1.	Laserjet 2612 A	50			
2.	Laserjet 388A	20			
3.	Laserjet 436A	20			
4	Canon-303	20			

5.	Laserjet TNP 28S	50			
6	Laserjet TNP 28S (Drum Case)	50			
प्रिन्टर कार्टेज रिफिलिंग					
1	Laserjet 2612 A	300			
2	Laserjet 388 A	100			
3	Laserjet 436 A	100			
4	Canon-303	50			
5	Laserjet TNP 28S	200			
6	Cartidge Drum Kit change	300			
7	Cartidge Blad change	200			
8	Cartidge PCR Rod change	200			
9	Magnet Rode Change	100			

(द) लकड़ी के आईटम्स

क्र.सं.	नाम सामग्री/आईटम	अनुमानित मात्रा	कम्पनी/मेक का नाम	निविदादाता द्वारा दी गई दर	
				अंको में	शब्दों में
1	प्लाई बोर्ड 19 MM 6X4	5			
2	प्लाई बोर्ड 19 MM 8X4	5			
3	प्लाईवुड 12 MM 6X4	5			
4	प्लाईवुड 8 MM 6X4	5			
5	प्लाईवुड 6 MM 6X4	10			
6	प्लाईवुड 4 MM 6X4	10			
7	सनमाईका सीट 1 MM 8X4	4			
8	टेबिल टॉप माइका लेमिनेटेड (उपर व नीचे) 5'X2.5' X 1"	10			
9	टेबिल टॉप माइका लेमिनेटेड (उपर व नीचे) 4'X2.5' X 1"	10			
10	डोर क्लोजर	15			
11	फेवीकॉल (1 लीटर पेक में)	10 लीटर			
12	सांकल कून्दे 9 इंच मय नट बोल्ट (कम्पलीट)	20 नग			

13	सांकेल कून्दे 12 इंच मय नट बोल्ट (कम्पलीट)	20 नग			
14	ताले-छोटे (दराज / अलमारी)	50 नग			
15	ताले-बड़े (दराज / अलमारी)	50 नग			

Signature of Tenderer with
Rubber stemp